भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5241

03.04.2023 को उत्तर के लिए

अतिरिक्त नागरिक टर्मिनल के निर्माण को पर्यावरण मंजूरी

5241. श्री राजकुमार चाहर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आगरा में अतिरिक्त नागरिक टर्मिनल के निर्माण की परियोजना हेतु पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान नहीं की गई है/दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1984 की रिट याचिका (सी) संख्या 13381 में पारित 11 दिसंबर, 2019 के उस आदेश से अवगत है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक अतिरिक्त टर्मिनल के निर्माण की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त परियोजना हेतु ईसी की कोई आवश्यकता थी और उपरोक्त आदेश के बावजूद ईसी प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) आगरा हवाई अड्डा (वायुसेना बेस के निकट), उत्तर प्रदेश में स्थित अतिरिक्त सिविल टर्मिनल (निर्मित क्षेत्र 82,305 वर्ग मीटर) के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 17.01.2019 को हुई 37वीं बैठक में विचार किया गया तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा काम शुरू करने से पहले ताज ट्रापेज़ियम ज़ोन अथॉरिटी (टीटीजेडए) से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की शर्त के अधीन इस प्रस्ताव की अनुशंसा की गई थी। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 13381 में एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में ताज ट्रापेज़ियम ज़ोन में यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में दिनांक 22.03.2018 को एक आदेश पारित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईए सं. 153974/2021 और 91982/2022 में दिनांक 17.01.2023 को एक आदेश पारित किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था, कि *"इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हवाई अड्डे के यातायात को बढ़ाने के लिए अनुमति देने की पूर्वापेक्षाओं से हम संतुष्ट हैं और अनुमति दी जा सकती है ताकि परियोजना शुरू हो सके।"*

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने दिनांक 09.03.2023 के पत्र द्वारा अतिरिक्त सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17.01.2023 के आदेश और टीटीजेडए से प्राप्त आवश्यक अनुमति की प्रतियां प्रदान की हैं। क्षेत्रीय पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जाती है।

*****